

मिस्टर दिवांक: 26/11/20 को पेश हो।



सहायक कलेक्टर
डीडवाना

7/10/20

वकील कादी के आवेदन पर पत्रागामी आज
पेश हुई। कादी स्वयं उषा वकील कादी
के उषा का पत्र पेश उर विपक्ष विपक्ष
के पक्षकार के मुख्य राजीनामा
हो चुका है तथा वे उषा कादी को
पलायन गरी मानते हैं अतः जारी
विपक्ष कादी उर कादी खारिज किया
जावे।

वकील कादी को सुना गया।
देउर उर हुकमोबत किया। पक्षकार
के मुख्य राजीनामा हो चुका है।
अतः जारी विपक्ष कादी उर कादी
खारिज किया जाता है पत्रागामी
के साथ शुभार होउर वायिबदल
हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)